एसटीपीपी फ्रेमवर्क
झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट परियोजना
(जेएमडीपी)

९. एसटीपीपी फ्रेमवर्क

९.१ भारत में एसटीएस की समीक्षा

२४१. भारत बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति परिवार बसते हैं, जो अभी भी आधुनिक दुनिया की जीवनशैली से अनजान हैं। ८४.४ मिलियन से अधिक के आबादी के साथ, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। इन जनजातीय लोगों को 'आदिवासी' के नाम से भी जाना जाता है, जो देश में सबसे गरीब हैं, जो अब भी भूतिया, कृषि और मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। भारत के कुछ प्रमुख आदिवासी समूहों में गोंड्स, संथाल, खासी, अंगामी, भील, भूटिया और ग्रेट अंडमानी शामिल हैं। इन सभी आदिवासी लोगों की अपनी संस्कृति, परंपरा, भाषा और जीवन शैली है। २०११ की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या ७०,८७,०६८ है, जो राज्य की कुल आबादी का २६.३% है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति की आबादी और राज्य की कुल आबादी के प्रतिशत की संख्या के मामले में क्रमशः ६ठा और १०वां स्थान हैं। एसटी आबादी का विकास १७.३ % था, जो २००१–२०११ के दौरान २३.३% की राज्य की औसत वृद्धि से कम है।

२४२. झारखंड की दो उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक एसटी जनसंख्या का उच्च अनुपात हैं, जो कि भारत की औसत के ८% की तुलना में २३% है और दूसरा वन क्षेत्रफल है जो भारत के २३.४१% के मुकाबले करीब २९% है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, झारखंड का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में ६ठा स्थान है। इसमें लगभग ३२ आदिवासी समूह हैं, जिनमें से प्रमुख हैं संथाल, मुंडा, ओरॉन और हो। झारखंड की ३२ जनजातियों में आठ आदिम आदिवासी समूह (पीटीजी) १०४२ के अंतर्गत आते हैं। वे असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सावर, पहाड़ी (बागी), मालपहाड़ी और सौरिया पहाड़ी हैं। पीटीजी सबसे अलग और वंचित आदिवासी आदिवासी हैं। उनकी जनसंख्या में उल्लेखनीय कमी के साथ समूह पीटीजी समूहों में कुपोषण, मलेरिया और पेचिश बड़े पैमाने पर हैं और इन समुदायों की सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुंच महज ४३ तक सीमित है।

२४३. राज्य में ३२ अधिसूचित अधिसूचनाओं में से, संथाल सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है जो राज्य की एसटी आबादी का ३४% है। ओरॉन (१९.६%), मुंडा (१४.८%) और हो (१०.5%) राज्य की दूसरी, तीसरी और चौथी सबसे बड़ी जनजाति हैं। अन्य प्रमुख जनजातियां खरिया, भुमजी, लोहरा और खरवार हैं। इसमें अन्य जनजातियों जैसे कि चेरो, बेडिया, मालपहाड़ी और महली की उपस्थिति भी मौजूद है। इन प्रमुख जनजातियों के अलावा १८ अन्य विभिन्न जनजातियां हैं जिनकी जनसंख्या कुल एसटी आबादी का ५.३% है। झारखंड राज्य में २६० ब्लाकों में से, ११२ एरिया पांचवीं अनुसूची के तहत आती है (२४ जिलों में से १५ जिलों में फैली)

४१. भारत की जनगणना, 2011, http://jharkhand.nic.in

अनुसूचित जनजातियों में, कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जो गिरने वाले या स्थिर आबादी, साक्षरता के निम्न स्तर, पूर्व कृषि स्तर की प्रौद्योगिकी और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। १७ राज्यों और १ संघ राज्य क्षेत्र में ७५ ऐसे समूहों की पहचान की गई है और उन्हें आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

४२. एफएडी/भारत–झारखंड जनजातीय सशक्तीकरण और आजीविका परियोजना

४३. भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ (२५) अनुसूचित जनजातियों को ''ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदायों या ऐसे जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर या समूह के रूप में अनुच्छेद ३४२ के तहत इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में समझा गया है'' के रूप में परिभाषित करता है।

२४४. शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जेएमडीपी की पहचान की गई है और विश्व बैंक से वित्त पोषण के साथ सेवाएं परियोजना क्षेत्रों में एसटी आबादी को प्रभावित कर सकती हैं।

९.२ झारखंड के आदिवासियों के लिए बुनियादी सामाजिक मापदंड

९.२.१ जनसंख्या और साक्षरता

२४५. झारखंड में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति १००० पुरुषों पर ९४७ महिलाओं का है, जो राष्ट्रीय औसत प्रति १००० पुरुषों पर ९४० महिलाओं से अधिक हैं। अनुसूचित जनजाति आबादी की समग्र साक्षरता स्तर २००१ की जनगणना के २७.5% से बढ़कर २०११ की जनगणना में ४०.७% हो गयी। इस सुधार के बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर सभी एसटी के मुकाबले जनजातियों में साक्षरता दर बहुत नीचे है (४७.१%)।

२४६. स्कूल छोड़ने वालों की संख्या झारखंड राज्य की आबादी में नहीं के बराबर है। ६ से १४ साल की आयु वर्ग के बीच के करीब ९५% बच्चों ने स्कूल में उपस्थिति दर्ज करायी है। यह देखा गया है कि आदिवासी बच्चों में से कोई भी स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं हुआ है।

९.२.२ व्यवसाय और आय

२४७. झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी का कामकाज दर ४६.३% है, जो कि राष्ट्रीय औसत ४९.१% की तुलना में थोड़ी सी कम है। इस संख्या का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है कि अनुसूचित जनजाति आबादी की कितनी जनसंख्या का पारंपरिक पेशा छोटे जानवरों का शिकार करना और जंगल से वनोपज, तना और जड़ी–बूटियों को इकट्ठा करने में जुटी है।

९.३ एसटीएस के लिए लागू नीति

२४९. एसटी के लिए लागू नीतियां नीचे सूचीबद्ध हैं :

क) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम –२०१३ (आरएफसीटीएलआरआर अधिनियम, २०१३) में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार

ख) झारखंड भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नियम –२०१५ में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार।

ग) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार) अधिनियम, १९९६ (पीईएसए अधिनियम १९९६)

घ) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, १९०८। (सीएनटी अधिनियम, १९०८8)

ड़) संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक प्रावधान) अधिनियम, १९४९ (एसपीटी अधिनियम, १९४९)

च) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम

छ) वंचित लोगों के लिए विश्व बैंक परिचालनात्मक नीति ४.१०

४४ संविधान के अनुच्छेद २४४ (२) के तहत पांचवीं अनुसूची ऐसे क्षेत्रों को ''अनुसूचित क्षेत्रों'' के रूप में परिभाषित करती है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य द्वारा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। पांचवीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को ''अनुसूचित क्षेत्र'' के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड हैं

- पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ेपन

२५०. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, २०१३ में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, जो इस तरह के अधिग्रहण का अंतिम उपाय है। इस अधिनियम की धारा ४३ से ५० में कानून के भाग के रूप में पुनर्वास और पुनर्स्थापन के प्रावधान और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६

२५१. यह अधिनियम पीढ़ियों तक इस तरह के जंगल में रह रहे आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए जंगल की भूमि पर वन अधिकारों और पेशा को मान्यता देता है, लेकिन जिनके अधिकारों को अभिलेख में दर्ज नहीं किया जा सकता है। यह अधिनियम वन अधिकारों का अभिलेख तैयार करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है तथा वन भूमि के संबंध में ऐसी मान्यता और साक्ष्यांकन के लिए जरूरी सबूत की प्रकृति है। पंचायत से अनुसूचित क्षेत्र (पीईएसए) अधिनियम विस्तार

२५२. ७३वें और ७४वें संवैधानिक (१९९२ के संशोधन) पीआरआई की विशेष शक्तियों को समायोजित करते हैं, जिन्हें बाद में बढ़ाया गया है, साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों के साथ–साथ पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार) अधिनियम १९९६ में अलग प्रावधान किये गये हैं। पेसा अधिनियम १९९६ की शक्ति और समर्थन के साथ जिले और ग्राम स्तर पर पीआरआई निकायों को अपने स्वयं के विकास में आदिवासी लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यात्मक शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों पर पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने में भी मदद करता है।

पेसा अधिनियम, १९९६ और एफआरए अधिनियम, २००६ की सीमा

२५३. जबकि पीईएसए की धारा ४ (आई) भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभाओं से परामर्श करने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ की धारा ४१ और ४२ में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिक सख्त प्रावधान मौजूद हैं (एलएआरआर)।

२५४. पेसा के विपरीत, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एलएआरआर २०१३ की धारा ४१ ग्राम सभाओं की सहमति प्रदान करती है। धारा ४१ और ४२ भी कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं, अगर केवल भूमि अधिग्रहण को अंतिम उपाय के रूप में लिया जाता है। धारा ४१ का कथन निम्नानुसार है:

► जहां तक संभव हो, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।
► जहां इस तरह का अधिग्रहण होता है, यह केवल एक अंतिम अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा।

- अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि के अधिग्रहण या हस्थांतरण के मामले में, इस एक्ट या समय के लिये प्रभाव में राज्य के कानुन के तहत भूमि अधिग्रहण के लिये अधिसूचना ज़ारी करने से पहले, संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में उपयुक्त स्तरों पर, आवश्यकता के मामलों में अधिग्रहण को शामिल करते हुए, इस तरह के सभी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में, ग्राम सभा या पंचायत या स्वयत्त जिला काउँसिल की पूर्व अनुमति, ली जायेगीः प्रदत है कि पंचायत या किसी जिला स्वायत्त परिषद की स्वीकृति जहां ग्राम सभा उपलब्ध नहीं है या गठित नहीं की गयी है, के मामले में ली जायेगी।
- आवश्यक निकाय के जरिये भूमि अधिग्रहण के लिये एक प्राजेक्ट को शामिल करने के मामले में जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाती परिवारों के विस्थापन को शामिल करता है, एक विकास योजना इस तरिके से कि तय भूमि के अधिकार स्थापित करने के लिये विधी का विवरण देते हुए तैयार की जायेगी, पर भूमि से जुड़े कारोबारों को बहाल करने वाले अधिग्रहण के साथ खास मुंहिम के तहत हस्थांरित भूमि पर अनुसूचित जाति की तरह ही अनुसूचित जन–जाति के और स्थापित नहीं।
- विकास योजना पांच सालों में, अनुसूचित जातियों की तरह ही जनजाति समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिये जरूरी, गैर–वन जमीनों पर वैक्लिपिक ईंधन, चारा और गैर–लकड़ी वन में पैदा हुए संसाधनों के विकास को शामिल करता है।
- अगर भूमि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अधिग्रहत की जाती है, ऐसे मामले में मुआवजा राशी प्रभावित परिवारों को शुरूआत में पहली किश्त में दी जायेगी और बाकि भूमि का कब्ज़ा लेने के बाद दिया जायेगा।
- अनुसूचित जातियों के प्रभावित परिवारों को उसी अनुसूचित क्षेत्र में एक सुगठित ब्लाक में पुनर्वासित करने को प्राथमिकता दी जायेगी तांकि उनकी नसलीय, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे।
- मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा बसे हुये पुनर्वासित क्षेत्र समुदाय और समाजिक जमाव के लिये मुफ्त में उपयुक्त सरकार के द्वारा निणर्य लेने की हद्द तक जमीन हासिल कर लेंगे।
- जनजातीय भूमियों या अनुसूचित जातियों के सदस्यों से सबंधित भूमि का अधिग्रहण, नियमों और समय के लिये प्रभाव में कानुनों से उलट गलत या गैर–कानुनी माना जायेगा, और इस तरह की भूमि के अधिग्रहण के मामले में, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के फायदे मूल आदिवासी भूमि के स्वामियों और अनुसूचित जातियों से संबधित भूमि के स्वामियों को मुहैया करवाया जायेगें।
- प्रभावित क्षेत्रों में नहर या तालाब या डेम में मछली पालन का अधिकार रखने वाली प्रभावित अनुसूचित जनजातियां, अन्य पंरपरागत वन वासियों और अनुसूचित जातियों को सिंचाई के लजाशय क्षेत्र या जल प्राजेक्ट में मछली पालने का अधिकार दिया जायेगा।
- जहां अनुसूचित जातयिों और अनुसूचित जनजातियों से सबंधित प्रभावित परिवारों को जिले के बाहर पुनवार्सित किया जाता है, तब उनको 25 प्रतीशत अधिक पुनर्वास और पुनर्स्थापन के फायदे दिये जायेंगे जिसके वह रूपये 50,000 की पहली किश्त के साथ नकदी रूपों में पात्र होंगे।
- अनुसूचित जनजातियों और प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण के फायदों के साथ सभी फायदों को पुनर्वास क्षेत्र में जारी किया जायेगा।
    - जब कभी अनुसूचित जनजातियों से सबंधित प्रभावित परिवार जो पांचवीं अनुसूची में दर्शाये अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों या संविधान की छठी अनुसूची में दर्शाये जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं, उन क्षेत्रों विस्थापित किया गया है, इस एक्ट के तहत, उनके द्वारा उपभोग किये जाने वाले सभी वैधानिक सुरक्षा, पात्रता और फायदों को उन क्षेत्रों तक जो विस्तृत कर दिया जायेगा जो विस्थापित किये गये हैं, इसकी परवाह किये बिना कि पुनर्वास क्षेत्र पांचवी सूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र या छठी सूची में निर्दिष्ट जनजाति इलाका है या नहीं।
    - जहां समुदाय के अधिकार अनुसूचित जाति और अन्य पंरपरागत वन वासी (वन अधिकारों की स्वीकृति) एक्ट 2006 के तहत स्थापित किये जाते हैं, इस तरह के समुदायिक अधिकारों में उनकी सांझेदारी के मुताबिक अनुपात में भूमि अधिग्रहण की वजह से विस्थापित हुए व्यक्तियों को नकद राशी में मापा और दिया जायेगा।

छोटा नागपुर पट्टेदारी एक्ट, १९०८ (सीएनटी एक्ट)

सीएनटी एक्ट, 1908 में भूमि के हस्थांतरण को रोकने के लिये लागु किया था, इसको महा–अधिकार पत्र माना गया है। यह विभिन्न म्यूनिसपेलिटियों और अधिसूचित क्षेत्र समुदायों के अधिन क्षेत्रों को मिलाते हुए उत्तर छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और पालमउ भागों में लागु होता है। 25 जनवरी, 2013 में झारखण्ड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के लिये भी लागु करने के लिये कहा था। सीएनटी एक्ट की धारा 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से सबंधित भूमि के हस्थांतरण को रोकता है। तो भी, एक जनजातीय अपनी भूमि को बिक्री, अदला–बदली, अपने अनुसूचित जाति के सदस्य और पुलिस थाने के निवासी को तोहफे या वसीयत में दे सकता है। इसी तरह, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग भूमि को, जिला कमीश्नर की पूर्व अनुमति के साथ, जिले की सीमाओं में अपने समुदाय के सदस्यों को ही दे सकता है।

संथाल परगना प^दारी कानुन, १९४९ (एसपीटी एक्ट)

२५७. संथाल परगना एक्ट संथाल में रहने वाले सभी परगना(डिवीज़न) की पहचान को सुरक्षित रखने के लिये 1949 प्रभाव में आया। संथाल परगना क्षेत्र छह जिलों, दुमका, जमताड़ा, दयोदार, गोडा, शाहीगंज और पाकुर में बंटा हुआ है। एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 20 के मुताबिक, किसी भी रैयत के द्वारा उसकी जायदाद में या व्यक्तियों के बीच बिक्री, तोहफे, गिरवी, वसीयत, लीज या किसी अन्य ठेके या समझोते यां रोजगार के लिये कानुनी नहीं है। इस अहस्थांतरण को इस बंटवारे के प^दारी कानुन में, ना सिर्फ खुद जनाजातियों के आर्थिक विकास और कल्याण के लिये पर जनजातियों में गुस्से को रोकने और उस क्षेत्र में प्रशासन को सुरक्षित करने के लिये वर्णित किया गया है। यह आदि कालीन भूमी की प^दारी जनजातियों और जनजातीय जमीन जायदादों पर लागु नहीं होती पर इस भाग के गैर–जनजातियों और गैर–जनजातीय जायदादों पर भी लागु होती है।

मूल निवासी लोगों पर विश्व बैंक ओपी 4.10

२५८. मूल निवासी लोगों पर विश्व बैंक ओपी 4.10 के निर्देष हैं कि सिर्फ प्राजेक्ट के लिये जहां प्राजेक्ट से प्रभावित हुए मूलनिवासी लोगों से व्यापक समुदाय का सहयोग, मुक्त, प्रथम और सूचित परामर्श की वजह से परिणित होता है। इस तरह के मानदण्डों को शामिल करते हैं (क) मूलनिवासी लोगों समुदायों पर बुरे संभावित प्रभावों को रोकना (ख) जहां रोकना मुमकिन नहीं है इस तरह के प्रभावों को कम करना और भारपाई करना। विश्व बैंक के प्राजेक्ट यह सुनिश्चित करने के लिये तैयार किये जाते हैं कि मूलनिवासी लोग समाजिक और आर्थिक फायदे हासिल कर सकें जो सास्कृतिक तौर पर उपयुक्त और लिंग और पीड़ी अंतर में विशिष्ट हों।

१.३.१एसटीपीपी में आवश्यकता

२५९. एक परिचित ब्यक्तिगत कार्यक्रम या उप–परियोजना की स्क्रीनिंग के मामले देखा गया है कि यह अनुसूचित क्षेत्र में आता है या कार्यक्रम या उपपरियोजना के क्षेत्र में समूहों में अनुसूचित जातियां मौजुद है या भूमि के साथ सांझा जुड़ाव रखती हैं, जूडको को सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यक्तिगत कार्यक्र या उप–परियोजना कार्यान्वित होने से पहले, एक समाजिक मुल्यांकन किया जायेगा और एसटीपीपी इस एसटीपीपी की आवश्यकताओं के मुताबिक तैयार किया जायेगा। जूडको को विश्वबैंक के वित्त पोषण के लिये सबंधित कार्यक्रम या उप–परियोजना को योग्य माने जाने से पहले, हरेक एसटीपीपी को विश्वबैंक के पास समीक्षा और स्वीकृति के लिये भेजना चाहिये।

२६०. जह एसटी पर आबादी उप–परियोजना की वजह से बुरा प्रभाव पड़ने वाले हों या विस्थापित किया जाना हो एसटीपीपी किसी भी आधारभूत संरचना परियोजना के आरएपी का अटूट हिस्सा होगा। अगर प्राजेक्ट क्षेत्र में तात्विक बदलाव शामिल हैं जो जनजातियों के लोगों के पंरपरागत अधिकारों पर प्रभाव डाल सकते हैं या उनकी जीवन शैली को इस तरह बदल सकते हैं कि वह जड़ों से कट जाये या अपनी संस्कृति या पंरपरा का पालन करने के योग्य की स्थिति में नहीं होते हैं एसटीपीपी की आवश्यकता होती है।

२६१. 'जनजातिय क्षेत्रों में जनजातीय संस्थाओं को जड़ों से मज़बूत करने और बढ़ावा देने के जरिये समेकित, न्यायसंगत और स्थिर विकास' एसटीपीपी का मकसद है। एसटीपीपी की यह सामग्री अनुलंग्न 11 की तौर सलंग्नित है।

२६२. एसटी आबादी पर प्रभावों को जानने और एसटीपीपी की आवश्यकता को निर्दिष्ट करने के लिये 1 यूएलबी में उप–परियोजनाओं का एक समाजिक–आर्थिक मुल्यांकन किया गया। मुल्यांकन के नीतजे हैं।

(क) यूएलबी में पीआईए मौजुदा टाउन और साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है।

(ख) परियोजना म्यूनिसिपल क्षेत्रों में वर्षाजल की निकासी या पीने के पानी के लिये सड़कों को चौड़ा करने और आधारभूत संरचना के निर्माण को शामिमल करता है। तो भी कुछ हिस्से पानी लेने के लिए कुआं और कच्चे पानी के प्रमुख स्रोत, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज के लिए आउटफाल/आउटलेट, एसपीपी डिस्चार्ज आदि के लिए नगर निगम के क्षेत्र के बाहर भी आधारभूत ढांचा बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

ग. ३ यूएलबीज़ में भूमि अधिग्रहण नहीं होना है।

घ. सभी सामाजिक वर्गों के नॉन–टाइटल होल्डर परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं।

ङ. ३ उप–परियोजनाओं के क्षेत्र में ५.५ प्रतिशत पीएपीज़ एसटी वर्ग से हैं।

च. भौतिक या आर्थिक स्थानांतर निम्नतम है और अधिकतर मामलों में प्रभाव अस्थाई है।

२६३ इस लिए, विदित उप–परियोजनाओं में अनुसूचित जनजाति आबादी की पारंपरिक जीवनशैली पर किसी भी किस्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यूएलबीज़ की सड़कों और अन्य शहरी भूलभूत ढांचे में सुधार से वंचित आबादी जिसमें शहरी क्षेत्र की जनजातीय आबादी शामिल है, के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। अभी तक चिन्हिति की गई तीन उप–परियोजनाओं में से खुंती जल आपूर्ति उप–परियोजना भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पांचवी अनूसूची क्षेत्र में आती है और इसमें अनूसूचित कबीले एवं अन्य वनवासी अधिनियम के तहत भूमि के पथांतर की आवश्यकता है। इस लिए खुंती जल आपूर्ति परियोजना के लिए एक एसटीपीपी तैयार किया गया है।

२६४ परियोजना के साथ परिकल्पित शहरी क्षेत्र की अनूसूचित जनजातियों और अन्य प्रभावित होने वाली संभावित आबादी को होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं:

- खराब सड़कों की वजह से सार्वजनिक यातायात संसाधनों की आवृति कम है। इस लिए स्थानीय लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए बस/ट्रेकर/ऑटो आदि लेने के लिए काफी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। विदित उप–परियोजना शहरी क्षेत्र के गरीब वर्ग, जिसमें अर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा साधन विहीन अनूसूचित जनजाती वाले दिहाड़ीदारों, मज़दूरों, विक्रेताओं और फेरीवालों की आबादी शामिल है, तक शहरी आधारभूत सुविधाओं की पहुंच आसान बनाएगा।
- पीने के स्वच्छ एवं सुरक्षित पानी की आपूर्ति घर तक ना होने की वजह से स्थानीय आबादी को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। लोगों को पानी लाने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है, जिसमें उनका बहुत सारा समय और उर्जा ख़र्च हो जाती है। विदित उप–परियोजना स्थानीय आबादी तक स्वच्छ पानी पहुंचाने की ब्यवस्था कर देगा।
- शहरी आधारभूत ढांचे से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा जिस से अनूसूचित जनजातीयों सहित ज़्यादातर ग़रीब आबादी को लाभ पहुंचेगा।
- शहरी आधारभूत ढांचे को प्रयोग करने की लागत और समय कम होगा।
- अनूसूचित जनजातीय सहित ग़रीब आबादी के जीवन स्तर में सुधार होगा।

२६५ अनूसूचित जनजातीय आबादी पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैं:

- आवासीय और/या व्यावसायिक ढांचे को क्षति पहुंच सकती है।
- स्थाई और अस्थाई रोज़गार की क्षति हो सकती है।
- समुदायिक ढांचे को क्षति पहुंच सकती है।

२६५ पूनर्वास कार्ययोजना एवं पर्यावरणीय व सामाजिक प्रबंधन योजना के ज़रिए ढांचों की पूनर्स्थापना, रोज़गार की स्थाई व अस्थाई क्षति, संभावित प्रभावित होने वाले वर्गों को विशेष तौर पर एवं सीपीआरज़ को प्रतिस्थापना लागत के रूप में आर्थिक सहायता और मुआवज़ा दे कर सामाजिक एवं पुनर्वास के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाएगा।

२६६ भविष्य की उप–परियोजनाओं के लिए परियोजना के क्षेत्र में रहने वाली अनूसूचित जातियों एवं जनजातियों की आबादी चिन्हित करने के लिए यूएलबीज़, ब्लॉक अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत के साथ विचार–विमर्श किया जाएगा। भिन्न सामाजिक–सांस्कृति पहचान वाले अनूसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी जिसे आम तौर पर 'नज़रअंदाज़' कर दिया जाता है, एसटीपीपी के ज़रिए समानता के साथ उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

२६८ यदि उप–परियोजना का कोई हिस्सा अगर पांचवीं अनूसूची क्षेत्र में आता है या प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पहले से अनूसूचित जाति व जनजातीय उपग्रामों द्वारा किया जा रहा है तो पेसा एक्ट के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनूसूचित जनजाती से स्वतंत्र, अग्रिम एवं सुविज्ञ सहमति ली जाएगी।

- ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की अधिशासी समिति माना जाएगा। ग्राम पंचायत के सचिव को ग्राम सभा का सचिव माना जाएगा और ग्राम सभा हर दो माह में कम से कम एक बैठक करेगी।
- अनूसूचित जनजाती आबादी के एक सदस्य को आम सहमति से ग्राम सभा की बैठक का अध्यक्ष चुना जाएगा। आम सहमति ना होने की स्थिति में उपस्थित सदस्यों में से अनूसूचित जनजाती से संबंधित सबसे अधिक आयू वाली महिला को अध्यक्ष चुना जाएगा।
- ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का पांचवां हिस्सा होगा। महिलाओं के लिए पृथक कोरम होगा, जो कि जनरल कोरम के एक तिहाई के बराबर होगा।
- ग्राम सभा शांति समिति, न्याय समिति, संसाधन योजना एवं प्रबंधन समिति, नशा नियंत्रण समिति, ऋण नियंत्रण समिति, मंडी समिति, सभा कोष समिति और ग्राम के क्रिया क्लापों को सूचारू रूप से चलाने की अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार स्थाई समितियां बना सकती है। इन समितियों के सदस्य ग्राम सभा की खुली बैठकों में चुने जाएंगे।
- अगर किसी गतिविधि के दौरान वन, सिंचाई प्रबंधन आदि किसी विषय के लिए कोई सरकारी विभाग किसी समिति या संगठन का गठन करता है तो इसे ग्राम सभा की संबंधित विषय की समिति माना जाएगा। संबंधित कानून के प्रावधानों के साथ ही यह संगठन या समिति ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
- ग्राम सभा एक ग्राम सभा कोष स्थापित करेगी, जिस में सभी प्रकार का अनुदान जिन में नकद अनुदान, ग्रामीणों का श्रमदान, लघु वन्य उत्पादों की एवज़ में सरकार से प्राप्त राशि, लघु खनिज, ग्राम सभा द्वारा संसाधनों के प्रयोग के लिए लगाए गए कर की आय या लगाए गए जुर्माने की राशि आदि शामिल हैं, इस कोष में रखे जाएंगे। ग्राम सभा को अपने फैसलों के अनुसार इस कोष को प्रयोग करने का पूरा अधिकार होगा।

- ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी की संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार हो, जिससेः
  क) रोज़गार के संसाधन चिरस्थाई बने रहें,
  ख) लोगों में असमानता ना बढ़े,
  ग) संसाधन कुछ लोगों तक सीमित हो कर ना रह जाएं।

- ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई भी भूमि ग़ैर–अनूसूचित–जनजातियों को स्थानांतरित ना हो। इसे भूमि से जुड़े किसी भी लेन देन में जांच करने, या शांति समिति को ऐसा करने का अधिकार देने का अधिकार होगा। वह यह कार्यवाही किसी शिकायत के आधार पर या स्वयं संज्ञान लेकर कर सकती है। अगर ग्राम सभा को लगता है कि अनूसूचित जनजाति से संबंधित भूमि को बदलने की कोशिशें हो रही हैं, तो वह ऐसे किसी लेन–देन पर रोक लगाने के निर्देश दे सकती है और ऐसे मामलों में ग्राम सभा का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

- भूमि अधिग्रहण, शांति एवं सुरक्षा व विवादो के निपटारे, प्राकृति संसाधनों के प्रबंधन; मंडियों के प्रबंधन; ऋण देने; लाभपात्रियों को चिन्हित करने; योजनाओं को मंजूरी देने; सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के साथ–साथ स्थानीय स्कूलों, हस्पताओं आदि संस्थानों की निगरानी एवं समीक्षा जैसे हर मामले से जुड़े निणर्य में ग्राम सभा का शामिल होना अनिवार्य होगा।
- ग्राम सभा को (क) जन्म, (ख) मृत्यू (ग) विवाह (घ) उत्सवों (ड़) रोज़गार के लिए ग्राम से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए अलग–अलग रजिस्टर रखने का अधिकार होगा।
- ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में होने वाले सभी कार्यों के लिए प्रयोग होने वाले फंड के प्रयोग की अनुमति का प्रमाण पत्र ग्राम सभा से लेना अनिवार्य होगा।
- अगर ग्राम सभा को लगे कि कोई प्रादेशिक अधिनियम स्थानीय परंपारिक कानून, सामाजिक एवं धार्मिक रिति–रिवाज़ों और समुदायिक संसाधनों की पारंपरिक प्रबंधन गतिविधियों के अनूरूप नहीं है तो वह इस बारे में प्रस्ताव पारित कर सकती है और इस प्रस्ताव को ज़िला क्लेक्टर के द्वारा प्रदेश सरकार को भेज सकती है। प्रदेश सरकार को इस बारे में उचित कदम उठाने होंगे।